



// कार्यालय-ज्ञाप //

विश्वविद्यालय में कोविड-19 के दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों के क्रम में स्पेशल बैक पेपर/अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों को कतिपय नियम एवं शर्तों के अधीन छात्रावास सुविधा निम्न व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी :-

1. छात्रावास में प्रवेश निर्धारित परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व दिया जायेगा तथा परीक्षा समाप्ति तिथि के अगले दिवस छात्रावास रिक्त करना अनिवार्य होगा तथा छात्रावास हेतु चीफ प्रोवोस्ट/अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट को पूर्व से सूचित करना होगा।
2. विद्यार्थियों को छात्रावासीय सुविधा के लिए पूर्व से चीफ प्रोवोस्ट/अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट के सम्मक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिस पर अनुमति के पश्चात् ही छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
3. विद्यार्थियों को प्रार्थना-पत्र के साथ कोविड-19 की जॉच-रिपोर्ट (यथासम्भव), परीक्षा समय-सारिणी, परीक्षा प्रवेश-पत्र एवं छात्रावास द्वारा निर्गत पहचान-पत्र व द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की जॉच-रिपोर्ट छात्रावास कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4. कोविड-19 की जॉच का व्यय स्वयं विद्यार्थी द्वारा वहन किया जायेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन/छात्रावास प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जायेगी।
5. विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक दशा में कोविड-19 के दृष्टिगत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. विद्यार्थियों को फेस मास्क, सैनेटाइजर व इससे सम्बन्धित अन्य सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन शत-प्रतिशत स्वयं के स्तर से करना अनिवार्य होगा।
7. छात्रावास परिसर की दैनिक साफ-सफाई, सैनेटाइजेशन एवं फॉगिंग की व्यवस्था की जायेगी। समस्त विद्यार्थी थर्मल स्कैनिंग के उपरान्त ही छात्रावास में प्रवेश करेंगे। उक्त कार्य हेतु छात्रावास चीफ प्रोवोस्ट/अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट उत्तरदायी होंगे।
8. प्रत्येक विद्यार्थी के मोबाइल में आरोग्य सेतु तथा आयुष क्वच ऐप डाउनलोड कर प्रयोग करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
9. विद्यार्थी द्वारा आवंटित कक्ष में साफ-सफाई का स्वयं के स्तर से विशेष ध्यान दिया जायेगा। किसी भी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या होने पर चीफ प्रोवोस्ट/अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ से शीघ्र सम्पर्क स्थापित किया जायेगा।
10. छात्रावास एवं परीक्षा कक्षों में संक्रमण से बचाव हेतु विशेष सावधानी बरती जाय एवं एक स्थान पर किसी भी दशा में समूह एकत्रित न हों। आवंटित छात्रावास कक्ष में अन्य विद्यार्थियों का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा।
11. वर्षा ऋतु के दौरान बीमारियों पर नियंत्रण हेतु सार्वजनिक स्थल पर स्वच्छता रखना अत्यन्त आवश्यक है। समस्त विद्यार्थीगण अनिवार्य रूप से हाथों को सैनेटाइज़ करने के उपरान्त स्वयं के कक्ष में अध्ययन करेंगे तथा परिसर के अन्य भू-भाग/कक्षों में अनावश्यक रूप से भ्रमण नहीं करेंगे। समन्वय हेतु आवश्यकतानुसार दूरभाष/वॉट्स-अप के माध्यम से एक-दूसरे से सम्पर्क करेंगे।



डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow.

12. किसी कक्ष में एक से अधिक विद्यार्थियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाये रखते हुए दैनिक कार्य/ परीक्षा में सम्मिलित होंगे।
13. विश्वविद्यालय परिसर में धूम्रपान, गुटखा, तम्बाकू आदि वर्जित होने के साथ-साथ धूकना भी प्रतिबंधित रहेगा, जिससे विश्वविद्यालय/ छात्रावास परिसर को स्वच्छ रखा जा सके।
14. अमूँठी, कलाई घड़ी व बेल्ट का प्रयोग न करें, जिससे कोरोना वायरस को छिपने की जगह मिल सकती है।
15. यदि किसी विद्यार्थी द्वारा उपरोक्त गाइड लाइन/ शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो तत्काल प्रभाव से छात्रावास की सुविधा को निरस्त करते हुए परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है। नियम एवं शर्तों के अनुपालन हेतु विद्यार्थी द्वारा सम्बन्धित छात्रावास के चीफ प्रोवोस्ट/ अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट के समक्ष घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 697/पत्रा० सं०-084/डॉ.श.मि.रा.पु.वि.वि./2020-21 दिनांक 25 अगस्त, 2020
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. कुलानुशासक, विश्वविद्यालय।
4. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. चीफ प्रोवोस्ट, अतिरिक्त चीफ प्रोवोस्ट (पुरुष/महिला) छात्रावास को इस अनुरोध के साथ कि तदनुसार वर्णित नियम एवं शर्तों के अनुपालन हेतु अग्रतः कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
6. चिकित्सा अधीक्षक, विश्वविद्यालय।
7. सम्बन्धित अधिकारी, विश्वविद्यालय।
8. सेवा प्रदाता एजेन्सी को नियमित साफ-सफाई एवं सेनेटाजेशन हेतु।
9. विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


25.08.2020
(बृजेंद्र सिंह)
सहायक कुलसचिव।